"शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत् आर्थिक रूप से कमजोर तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन"

Dr. Neelima Gupta (Asst. Prof.)
Disha College of Management Studies
Raipur (C.G)

सारांश

शासकीय विद्यालयीन शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में असमर्थ रही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत आर्थिक एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के निहितार्थो में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाना शामिल किया गया हैं। निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटो का इस वर्ग के लिये गये आरक्षण इस अधिनियम के सर्वाधिक महत्वाकांक्षी उद्देश्यों में से एक हैं। कमजोर तथा वंचित वर्ग के बच्चों में इन विद्यालयों में प्रवेश ने निजी विद्यालयों में कक्षाओं की संरचना को प्रभावित किया है। अधिनियम की धारा 4 के द्वारा इन विद्यार्थियों की योग्यता तथा कौशल वृद्धि पर विशेष ध्यान दिये जाने का भी प्रावधान किया गया है।

□□□□□□□□□ सामाजिक परिपक्वता शैक्षिक उपलब्धि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

भूमिका

शिक्षा का कार्य शैक्षिक प्रक्रिया को पूरा करना ही नही है अपितु बच्चों के जीवन के अनेक पहलू को जानने हेतु दिशा निर्देश देना भी हैं। शिक्षा से जहां एक ओर शारिरिक मानसिक तथा संवेगात्मक विकास होता जाता है वही दूसरी ओर उसमें सामाजिक भावना भी विकसित होती जाती है। परिणाम स्वरूप वह शनैः शनैः प्रौढ़ व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों को सफलता पूर्वक निभाने के योग्य बन जाता है। इस प्रकार बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन करने के लिये व्यवस्थित शिक्षा की परम आवश्यकता है। सच तो यह है कि शिक्षा से इतने लाभ है कि उनका वर्णन करना कठिन है। इस संदर्भ में यहाँ केवल इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि शिक्षा माता के समान पालन पोषण करती है पिता के समान उचित मार्ग दर्शन द्वारा अपने कार्यो में लगाती है तथा पत्नी की भांति सांसारिक चिंताओं को दूर करके प्रसन्नता प्रदान करती है। शिक्षा के द्वारा हमारी कीर्ति का प्रकाश चारो ओर फैलता है तथा शिक्षा ही हमारी समस्याओं को सुलझाती है एवं हमारे जीवन को सुसंस्कृत बनाती है।

निरक्षरता किसी भी देश के विकास के मार्ग में एक काटे का कार्य करता है तथा सर्वाधिक सशक्त देशों को अवनति के मार्ग पर ढ़केल सकती है। विश्व का कोई भी देश निरक्षरता के समूल विनाश के बगैर विकास के सोपान नही चढ़ सकता है। इस हेतु शासन स्तर पर निरक्षरता के उन्मूलन सम्बन्धित कार्यक्रमों को आवश्यक बंटन सहित उचित रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है। शासन स्तर पर बनने वाली नीतियों का जोर निरक्षरता के समस्या के उन्नमूलन के बजाय निम्न प्राथमिकताओं जैसे गरीबी, खाद्य समस्या, स्वास्थ्य इत्यादि पर अधिक होता है। देश के नीति नियंता विकास की प्रक्रिया में साक्षरता के भूमिका को समझने में असमर्थ रहे हैं। आज देश में व्याप्त विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक व्याधियों का उपचार साक्षरता के माध्यम से किया जा सकता है। देश में सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिये साक्षरता आज एक गंभीर मुद्दा है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिये एक कच्चा मसौदा विधेयक 2005 में प्रस्ताव किया गया। बच्चो के अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लोक प्रिय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के रूप में 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को भारत की संसद द्वारा 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट मंत्रालय द्वारा 20 जुलाई 2009 को राज्य सभा के अनुमोदन के बाद पारित किया गया। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इस विधेयक मंजूरी दे दी और इसे 3 सितम्बर 2009 को राज पत्र में निःशुल्क बच्चे के अधिकार और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया 1 अप्रैल 2010 को यह भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिये शिक्षा को पूर्णतः निःशुल्क एवं अनिवार्य कर दिया गया , अब यह केन्द्र तथा राज्यों के लिये कानूनी बाध्यता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सभी को सुलभ हो सके। शिक्षा किसी भी व्यक्ति एवं समाज के समग्र विकास तथा सशक्तिकरण के लिये आधारभूत मानव मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग को चुनने का मुख्य उद्देश्य यह था कि इस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने से उनके भविष्य का आधार तैयार हो सकेगा।

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून 2009 का पास होना भारत के बच्चों के लिये ऐतिहासिक क्षण है। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो यह अत्यधिक सम्मान एवं गौरव की बात है। सभी बच्चों को अपने पड़ोस के स्कूलों में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा, इसके लिये बच्चे या उनके अभिभावकों से प्राथमिक शिक्षा हासिल करने के लिये कोई भी प्रत्यक्ष मूल्य या अप्रत्यक्ष मूल्य नहीं लिया जायेगा। सरकार बच्चे को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करावाएगी जब तक उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी हो जाती। आजादी के 61 साल बाद भारत सरकार ने शिक्षा के अधिकार विधेयक को मंजूरी दी जिससे 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाना मौलिक अधिकार बन गया है। विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में शामिल है प्रवेश के स्तर पर आस पास के बच्चों को निजी स्कूलों में नामांकन में 25 प्रतिशत आरक्षण। स्कूलों द्वारा किये गये खर्च की भरपाई सरकार करेगी। नामांकन के समय कोई शुल्क राशि नहीं लिया जायेगा और छंटनी प्रक्रिया के लिये बच्चे या उससे अभिभावकों का साक्षात्कार नहीं होगा। विधेयक की जांच पड़ताल के लिये नियुक्त मंत्रियों के समूह ने बिना किसी फेरबदल के विधेयक को मंजूरी दे दी थी जिससे आस पास के वंचित वर्गो के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश के स्तर पर 25 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। कुछ लोग इसे सरकार की जिम्मेदारी के निर्वहन के लिये निजी क्षेत्र को मजबूर करने के दृष्टिकोण से भी देखते है।

अध्ययन का उद्देश्य

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत् आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना

- शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत् आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता का सार्थक सहसंबंध उनकी शैक्षिक उपलब्धि के साथ नहीं पाया जायेगा।

अध्ययन का क्षेत्र एवं परिसीमन

1. प्रस्तावित अध्ययन में रायपुर जिले के धरसींवा विकासखण्ड में स्थित निजी प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत् आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के विद्यार्थियों का चयन किया गया है।
2. प्रस्तावित अध्ययन में 600 विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा जिसमें 300 बालक और 300 बालिकाओं का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया है।
3. प्रस्तावित अध्ययन में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक 1 से 5 तक कक्षा के छात्र एवं छात्राओं का अध्ययन किया गया है।

4. प्रस्तावित अध्ययन में शिक्षा के अधिकार अधिनियम तहत आने वाले 30 निजी स्कूलों का चयन किया गया है।
5. प्रस्तावित अध्ययन में प्रत्येक स्कूलों से 10 छात्र एवं 10 छात्राओं का चयन किया गया है।

न्यादर्श एवं न्यादर्श चयन प्रक्रिया

शोध या अनुसंधान कार्यो में न्यादर्श का विशेष महत्व होता है। इसके बिना शोध कार्य पूरा नही किया जा सकता। वह समस्त इकाईयां जो अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सामूहिक रूप से समष्टि कहलाती है तथा इन्ही समष्टि या जनसंख्या में से न्यादर्श के रूप में इनकी प्रतिनिधित्व इकाईयों का चयन कर अनुसंधान प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण प्रदत्तों के संकलन का कार्य पूर्ण किया जाता है। अर्थात न्यादर्श में किसी सम्पूर्ण समूह का अध्ययन करने के स्थान पर उसके एक उपयोगी भाग का अध्ययन किया जाता है जिससे सभी आवश्यक सूचनायें प्राप्त होने के एक ऐसे लघु अंश को कहते है। जो उस सम्पूर्ण या समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें समग्र की मौलिक विशेषतायें उपस्थित रहती है। इस प्रकार प्रतिदर्श कुछ ही इकाईयों के अवलोकन द्वारा सम्पूर्ण इकाईयों के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करना ही न्यादर्श कहलाता है।

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण

1. सामाजिक परिपक्वता हेतु – "Social Maturity Scale" (SMS)
   'R.P. Srivastava'
2. शैक्षिक उपलब्धि हेतु – "Achivenment Test Bettery" (ATB)
   'R.D. Singh'

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत् आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता का सार्थक सहसंबंध उनकी शैक्षिक उपलब्धि के साथ नहीं पाया जायेगा, की जांच हेतु Pearson Correlation Coefficient की गणना की गयी ।

तालिका

शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत् आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सहसंबंध

	N	सामाजिक परिपक्वता	शैक्षिक उपलब्धि
सामाजिक परिपक्वता	600	-	r = .149**
शैक्षिक उपलब्धि		r = .149**	-

** Significant at .01 level

तालिका क्रमांक 4.7 में दर्शित r=.149 जों कि सांख्यिकीय रूप से .01 के सार्थकता स्तर पर है, इस तथ्य की ओर की इंगित करता है कि सामाजिक परिपक्वता एवं शैक्षिक उपलब्धि में धनात्मक सार्थक सहसंबंध है । सामाजिक परिपक्वता प्रश्नावली की मूल्यांकन पद्धति के अनुसार प्राप्त अंकों में वृद्धि बेहतर सामाजिक परिपक्वता की ओर संकेत करती

हैं । (Higher the score, better will be the social maturity) । यही मूल्यांकन पद्धति शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण के संदर्भ में भी लागू होती है (Higher the score, better will be the educational achievement) । अतः अध्ययन से प्राप्त सार्थक एवं धनात्मक संबंध यह दर्शाता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत् आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि से उनकी शैक्षिक उपलब्धि में भी वृद्धि होती है ।

तालिका में दर्शाये गये परिणामों के अनुसार शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत् आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता का सार्थक संबंध .01 के सार्थकता स्तर पर उनकी शैक्षिक उपलब्धि के साथ पाया गया, **अतः परिकल्पना अस्वीकार्य है ।**

परिणाम

शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत् आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता का सार्थक सहसंबंध उनकी शैक्षिक उपलब्धि के साथ पाया गया ।

निष्कर्ष

अतः अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर समग्र रूप से यह निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सामाजिक परिपक्वता की शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत् आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण चर हैं जबकि इस संदर्भ में लिंग की भूमिका सिद्ध नहीं हुई।

सुझाव

1. प्रस्तुत शोध छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के धरसींवा विकासखण्ड पर आधारित है। यह अध्ययन छ.ग. राज्य अन्य विकासखण्ड पर भी किया जा सकता है।
2. अमीर वर्ग के बच्चों का समायोजन गरीब वर्ग के बच्चों के साथ अच्छा हो, शिक्षकों को इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिये।
3. शिक्षकों का उत्तरदायित्व है कि वह गरीब वर्ग तथा अमीर वर्ग के बच्चों के प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार न करें।
4. शिक्षकों, बच्चों के माता–पिता तथा बच्चों के द्वारा शासन द्वारा क्रियान्वित योजनाओं को सफल बनाया जा सकता है।
5. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी स्कूलों की जो सीटें प्राप्त है, तथा जो रिक्त है, उसे पूरी तरह भरनी चाहिये, तभी शासन द्वारा क्रियान्वित योजना को सफल बनाया जा सकता है।

अध्ययन का शैक्षिक एवं सामाजिक महत्व

शिक्षा मनुष्य के अंर्तमन मन में स्थित मानव को जागृत कर उसे जीवन सग्राम के लिए तैयार करती है उसका महान उद्देश्य मानव के सर्वांगीण विकास में निहित है। शिक्षा ही मनुष्य की मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक तथा नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास करती है। अतः सफल जीवन के लिए अनिवार्य है। विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि सबसे अधिक उसके पारिवारिक वातावरण से प्रभावित होती है। अतः अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे घर में बालकों के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण करे कि बच्चों का सर्वांगीत विकास संभव हो सके। अभिभावकों को चाहिए की वह अपनी संतानों चाहे वह लड़के हो या फिर लड़कियाँ दोनो को शिक्षा प्रदान करने हेतु समान अवसर उपलब्ध करवाये। अभिभावकों को अपने

संतानों को सुरक्षित विश्वस्त और सहयोगी वातावरण प्रदान करना चाहिए। जिससे की उनमें अपने मित्रों, पारिवारिक सदस्यों एवं सामाजिक सदस्यों के साथ समायोजन की भावना उत्पन्न हो सक।

प्रस्तुत अध्ययन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत आर्थिक रूप से कमजोर तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों का शैक्षिक समायोजन का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन जब हम गहराई से करेंगे तो प्राप्त हुई उस जानकारी के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को और अत्यधिक सफल बनाने का प्रयास हम कर सकेंगे तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सरकार द्वारा प्रस्तावित नियम के मुताबिक स्कूलों में सही तरीके से लागू किये जा रहे है कि नही इसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकेगे। यदि यह ठीक प्रकार से लागू है तो हम इसे 25 प्रतिशत के अलावा 30 प्रतिशत या उससे आगे 40 प्रतिशत तक कर सकते है। यह समाज के गरीब बच्चों के लिये अत्यधिक फायदेमंद होगा।

1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंर्तगत शिक्षा प्राप्त करने वाले गरीब बच्चों की शिक्षा के स्तर में सुधार होगा तथा शिक्षा का प्रतिशत बढ़ेगा।
2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंर्तगत शिक्षा प्राप्त करने वाले गरीब बच्चें नये पर्यावरण में समायोजित होकर अपनी प्रतिभा को निखारने में सक्षम होगें।
3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंर्तगत प्रायमरी स्तर से बच्चे शिक्षा प्राप्त करेगें, तो शिक्षा के महत्व को समझेगें और भविष्य में अपनी शिक्षा को पूरा करेगे, बीच मे ही शाला से पलायन करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।
4. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंर्तगत अध्ययनरत गरीब बच्चे निजी शालाओं के स्वस्थ वातावरण से प्रेरित होकर बच्चों में नैतिकता का विकास होगा और वे अपराधी प्रवृत्ति से बच सकेगे।
5. प्रतिभा शाली और शिक्षित नागरिक के रूप में ऐसे बच्चे भविष्य में समाज के अच्छे और उपयोगी नागरिक बनेगें।

REFERENCES

1- Agrawal, Y.P. (1988). Statastics Methods Consepts Application and Communication, Starling Publication Pvt. Ltd., New Delhi, 134 – 136.

2- Asthana,(1989). School jane wale baccho ke grade/starr, samajik arthik stithi tatha shekchik uplabdhi ke beech samajik parpakvata ka adhyayan kiya.Ph.D Education. Pt. Ravishankar Shukla University Raipur.

3- Agrawal,(1997 - 98). Grameen chetra mein adhyayanratt chatr- chatraon ke sanskrit mein abhiruchi ka adhyayan kiya. Ph.D Education. Pt. Ravishankar Shukla University Raipur

4- Alwa and Riyes,(1999). Tanavpurna jeevan ki ghtanaon aur anubhavo ka shekchik uplabdhi par adhyayan. Ph.D Education. Pt. Ravishankar Shukla University Raipur

5- Agrawal, B.B. (2000). Aadhunik Bhartiya Shiksha aur Samasyaein. Vinod Pustak Mandir Agra.